उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 04/2021

राज्य बनाम वाहन ट्रैक्टर संख्या– JH01DH 5670 के स्वीम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05/02/2021	–:: आदेश ::–	

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्र ज्ञापांक–2231/अप०शा० दिनांक–27.08.2020 द्वारा माण्डू (कुजू) थाना काण्ड संख्या–128/2020, दिनांक– 11.07.2020 धारा–13 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rules 2017 & 54 Jharkhand Mineral concession rule-2004 and 21 mines & minerals (Regulation & Development) Act 1957. के अन्तर्गत जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टा नं०–JH-01DH-5670 जिसके डाला में लोड करीब 80 सी०एफ०टी० बालू को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि, Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 के तहत् प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि धारा–21 (4-A) में निम्न प्रावधान है "Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court."

उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 (4-A) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को वापस करें। अभिलेख संचित करें। 110/ प्रेषित 05/02/2021

लेखापित एवं संशोधित।

05/02/21

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

05/02/21

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।